

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जायपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 157/2024 (धारा 14 सिक्कुरिटाईजेशन)
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आरएसीपीसी-2 चित्रकूट, जायपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री परमेश्वर सत्यनारायण पारीक पुत्र श्री सत्यनारायण पारीक,
पता:- फ्लेट नं. जी-5, ग्राउण्ड फ्लोर, एम. डी. हाईट्स, प्लॉट नं. 15/16, रिधु नगर ए, गोविन्दपुरा,
निवारू रोड़, जायपुर।
2. मैसर्स पारीक एण्ड एसोसिएट्स, यूनिट नं. 109, बिल्डिंग नं. 6, मित्रल इंडस्ट्रियल इस्टेट, अन्धेरी, कुर्ला
रोड़, अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002.


उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री परमेश्वर सत्यनारायण पारीक के स्वामित्व की संपत्ति एम. डी. हाईट्स, प्लॉट नं. 15/16, रिधु नगर ए, गोविन्दपुरा, निवारू रोड़, जायपुर के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित फ्लेट नं. जी-5, कुल क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 827 वर्गफीट को बंधक रखकर कुल राशि 12,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है। तत्पश्चात् केवल दो सम्पत्ति का ही कब्जा दिलाने का निवेदन किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 12,50,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी. ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 11,65,295/- रुपये की


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जायपुर (ग्रामीण)




ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री परमेश्वर सत्यनारायण पारीक के स्वामित्व की बंधक संपत्ति एम. डी. हाईट्स ,प्लॉट नं. 15/16, रिधु नगर ए, गोविन्दपुरा, निवारु रोड़, जयपुर के ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित प्लेट नं. जी-5, कुल क्षेत्रफल सुपर बिल्ट अप एरिया 827 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हसब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



6. आदेश आज दिनांक 27.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलेक्टर) जयपुर (ग्रामीण)